देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

–: अधिसूचना :–

अधिसूचना संख्या ..170.... /भू अ०   दिनांक : 01/02/2020

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–शहरजोरी, थाना–सारठ, थाना सं०–522, अंचल–सारठ, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा **शहरजोरी मोड़ (एम०डी०आर०–222 पर)–आसनबनी–अलगबरा–दुमदुमी–दनरबाद–करौं तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण परियोजना** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–शहरजोरी, थाना–सारठ, थाना सं०–522, अंचल–सारठ, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.72** एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :–

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0) उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4	502	रैयती	धानी–3	0.05	श्यामल राय वो पिन्टु राय पे० फुलचन राय वो विकास राय वो अजीत राय पे० बलराम राय वो सुशील कुमार राय पे० गडु राय अंश समान सा० देह।	अर्जित दाग का अंश	अर्जित दाग का अंश	अर्जित दाग का अंश	अर्जित दाग का अंश
2	4	510	रैयती	बाड़ी–2	0.12	तथैव।				
3	6	912	रैयती	बाड़ी–2	0.03	गंगा सिंह पे० पुरण सिंह (ज०रै०)				
4	6	916	रैयती	बाड़ी–2	0.07	तथैव।				
5	10	482	रैयती	बाड़ी–2	0.06	सरस्वती देव्या पति काशी सिंह वो सुरेश प्र० सिंह पे० ऋषि सिंह वो रामदेव सिंह पे० भूषण सिंह वो परेश चन्द्र सिंह वो जन्मजय सिंह पे० संतप्रसाद सिंह। अंश समान सा० देह।				
6	14	533	रैयती	धानी–3	0.06	बकिंमचन्द्र सिंह पे० बेलभद्र सिंह वो रणधीर प्रसाद सिंह वो राजीव कुमार सिंह पे० सुकदेव सिंह वो लखनलाल सिंह पे० नकुल सिंह वो सुमित्रा देव्या पति शत्रुधन प्रसाद सिंह वो निरंजन प्रसाद सिंह पे० नकुल सिंह ।अंश समान सा० देह।				
7	14	532	रैयती	बाड़ी–2	0.04	तथैव।				
8	18	500	रैयती	बाड़ी–2	0.015	हरिकिशोर सिंह पे० दानी सिंह वो माया देव्या पति रविन्द्र सिंह वो कौशल सिंह वो बहादुर सिंह पे० श्यामसुन्दर सिंह वो मनोज सिंह वो पवन सिंह वो अधीर सिंह माता मोती देवी पे० बलदेव प्रसाद सिंह वो बच्ची देवी पे० योगेन्द्र सिंह वो कृष्ण प्रसाद सिंह पे० नारायण सिंह वो उर्मिला देव्या पति अभिमन्यू प्रसाद सिंह। अंश समान सा० देह।				
9	18	914/945	रैयती	बाड़ी–2	0.05	तथैव।				

10	19	499	रैयती	बाड़ी–2	0.08	उषा देवी पति अनन्त लाल सिंह वो लीला देवी पति गणधेश्वर सिंह वो कर्ण प्रसाद सिंह वो द्रोण कुमार सिंह पे० शिव नारायण सिंह अंश समान सा० देह।				
11	20	913	रैयती	बाड़ी–2	0.05	वंकिम सिंह पे० भादो सिंह वो रणधीर सिंह वो राजीव सिंह पे० सुकदेव सिंह वो लखन सिंह वो निरंजन सिंह पे० नकुल सिंह वो सुमित्री देव्या पति शत्रुधन सिंह वो सरस्वती देव्या पति काशी सिंह वो सुरेश सिंह पे० ऋषि सिंह वो रामदेव सिंह पे० भूषण सिंह वो परेश सिंह वो जन्मजय सिंह पे० संतु सिंह ।अंश सा० देह।				
12	21	483	रैयती	बाड़ी–2	0.015	त्रिपुरारी सिंह वो वरूण सिंह पे० बेलो राय।				
13	21	915	रैयती	बाड़ी–2	0.03	तथैव।				
14	22	914/946	रैयती	बाड़ी–2	0.05	वशिष्ट प्र० सिंह वो श्रीकांत सिंह पे० अनादी वो गायत्री देव्या पति प्रकाश सिंह वो निदेश सिंह वो संतु सिंह वो राकेश सिंह पे० नागो सिंह वो सुमित्रा देव्या पति अविनाश सिंह वो प्रहलाद सिंह वो विनय सिंह वो चुनचुन सिंह पे० सहदेव सिंह वो जानकी सिंह वो प्रमानन्द सिंह पे० छात्रा सिंह ।अंश समान सा० देह।				
				कुल रकवा–	**0.72**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन, पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

18/1/2020 — जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर 18.1.20

अपर समाहर्त्ता, देवघर

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 170 / भू अ०, देवघर, दिनांक 01/02/2020

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सारठ को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

अपर समाहर्त्ता
देवघर

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।